न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 21/**20 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No. : 2020/00094

1. श्री तुलसीराम पिता कनीया लौहार निवासी नान्दवेल तह. मावली।

............प्रार्थी

बनाम्

1. श्री मोहनलाल पिता गोकल लौहार निवासी नान्दवेल तह. मावली।
2. श्री वगतराम पिता गोकल लौहार निवासी नान्दवेल तह. मावली।
3. श्री जमनालाल पिता भूरालाल लौहार निवासी नान्दवेल तह. मावली।
4. श्री लालुराम पिता भूरालाल लौहार निवासी नान्दवेल तह. मावली।
5. श्री वजेराम पिता भूरालाल लौहार निवासी नान्दवेल तह. मावली।
6. श्रीमती मांगीबाई पुत्री भूरालाल लौहार निवासी नान्दवेल तह. मावली।
7. श्री रामचन्द्र पिता कनीया लौहार निवासी नान्दवेल तह. मावली।
8. श्री देवीलाल पिता कनीया लौहार निवासी नान्दवेल तह. मावली।

..............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री दुर्गाशंकर मेनारिया, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री पंकज चौधरी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 6

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 28.10.2020

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नान्दवेल पटवार हल्का नान्देवल में प्रार्थी एवं विपक्षी 7–8 के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नम्बर 894 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा स्थित हैं। उक्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 7, 8 खातेदार काश्तकार हैं।
2. उक्त आराजी पर बैलगाडी, हंज, सामद, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए रास्ता सरकारी आराजी नम्बर 919 में से होता हुआ उक्त आराजी के पश्चिम दिशा आराजी नम्बर 898 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के उत्तरी पाली पर 15 फीट उत्तर दक्षिण चौडा एवं पूर्व पश्चिम लम्बाई में सबसे सुगम एवं सरल मार्ग प्रार्थी की आराजी नम्बर 894 में पहुंच सकता हैं। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। आराजी नम्बर 900 आ.चा. की भूमि होकर प्रार्थी एवं विपक्षी के नाम सामलाती

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2020.12.04 14:41:16 IST
Reason: SelfAttested

खाते में दर्ज होकर इस आराजी चाह से पिलाई का अधिकार है जो सरकारी आराजी नम्बर 919 से भूमिगत पाईप लाईन के जरिये उपर वर्णित रास्ता में से होती हुई जा सकती है और इससे प्रार्थी की आराजी की पिलाई हो सकती हैं। आराजी नम्बर 898 मोहन, भूरालाल, वगतराम पिता गोकल लौहार के नाम हिस्सा बराबर से अंकित हो खातेदार भूरालाल का निधन हो गया है जिसके विपक्षी जमनालाल, लालुराम, वजेराम, मांगीबाई वारिस हैं।

3. वर्तमान में प्रार्थी आराजी नम्बर 898 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के उत्तरी पाली पर 15 फीट उत्तर दक्षिण चौडा एवं पूर्व पश्चिम लम्बाई में पहुंच सकता है लेकिन रास्ता नक्शें में नहीं है इसलिए प्रार्थी को अपने संसाधन लाने ले जाने में दिक्कत होती है इसलिए सरकारी आराजी नम्बर 919 में होता हुआ आराजी नम्बर 898 के उत्तरी पाली पर 15 फीट चौडा रास्ता कायम कराया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थना पत्र का कारण 07.06.2020 को पैदा हुआ जब विपक्षी ने प्रार्थी को अपने संसाधन ले जाने के लिए उस रास्ते पर जाने से रोका व प्रार्थी के हक अधिकारों को चुनौती दी तब से निरन्तर जारी हैं।

4. अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में वर्णित ए, बी, सी, डी से दर्शित रास्ता राजस्व नक्शा ट्रेस में कायम कराया जावे एवं उक्त रास्ते में पाईप लाईन डालने की स्वीकृति प्रदान कराई जावें। रास्ता कायम कराये जाने बाबत् माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में राशि जमा कराने को प्रार्थी तैयार हैं।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 7, 8 अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 1 से 6 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में हमने तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की।

6. प्रकरण में प्रार्थी मय अधिवक्ता लगातार अनुपस्थित रहने पर विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से नया रास्ता कायम किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होना बताया है एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी मय अधिवक्ताओं को आवाजे दिलवाई गई। तीन बार रूक–रूक कर आवाजे दिलवाई जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता विपक्षी की एकतरफा बहस सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 14:41:16 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने विद्वान अधिवक्ता विपक्षी की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण में आराजी नम्बर 894 के पश्चिम में आराजी नम्बर 898 स्थित हैं। प्रार्थी आराजी नम्बर 894 में जाने के लिए 898 में से 15 फीट का रास्ता चाहता है। आराजी नम्बर 898 के पश्चिम में आराजी नम्बर 919 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा किस्म नाली बिलानाम सरकार दर्ज हैं। मौके पर सम्पूर्ण आराजी नम्बर 919 पर रास्ता बना हुआ है जो राज्य मार्ग डबोक से मावली रोड से ग्राम नान्दवेल के मजरा रहटा ग्राम पालसा जाने हेतु आवागमन के काम आ रहा हैं। विपक्षी द्वारा बताया कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 894 की पूर्व दिशा में आराजी नम्बर 891 स्थित हैं जो बिलानाम किस्म नाली होकर मौके पर रास्ता बना हुआ हैं, जिस पर लोगो का आवागमन जारी हैं। उक्त मार्ग भी राजमार्ग डबोक से मावली रोड से ग्राम नान्दवेल के मजरा रहटा ग्राम पालसा जाने हेतु आवागमन के काम आ रहा हैं। आराजी नम्बर 891 के माध्यम से आराजी नम्बर 919 तक पहुंचा जा सकता हैं। उक्त दोनो ही मार्ग वर्तमान में बिलानाम गैर काबिल काश्त होकर किस्म नाली हैं जो आराजी नम्बर 252 एवं 920 रास्ते को जोडते हैं।

8. अतः उक्त रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने आराजी नम्बर 894 पर पहुंचने के लिए मौके पर आराजी नम्बर 891 से मार्ग उपलब्ध हैं। प्रार्थी विपक्षी की आराजी नम्बर 898 से 15 फीट रास्ता आराजी नम्बर 919 तक पहुंचने के लिए कायम करवाना चाहता हैं जबकि आराजी नम्बर 919 व 891 दोनो ही बिलानाम किस्म नाली हैं। ऐसी स्थिति में आराजी नम्बर 891 प्रार्थी की आराजी नम्बर 894 से सटमा हैं जिस पर प्रार्थी आसानी से आवागमन कर सकता है अपने संसाधन ला ले जा सकता हैं। प्रार्थी द्वारा मुख्य मार्ग पर पहुंचने के लिए इन आराजीयात में से कोई रास्ता नहीं चाहा हैं। अतः तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस

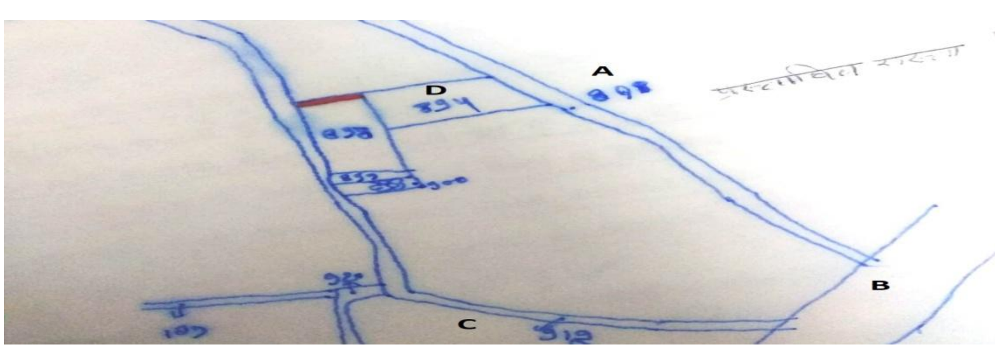

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 14:41:16 IST
Reason: SelfAttested

9. उक्त नक्शा ट्रेस में ''A'' आराजी नम्बर 891 की पहुंच मुख्य मार्ग ''B'' तक आसानी से उपलब्ध हैं। ''C''आराजी नम्बर 919 की पहुंच भी मुख्य मार्ग ''B'' तक पहुंच होने से प्रार्थी अपनी भूमि ''D'' आराजी नम्बर 894 पर आसानी से आ जा सकता हैं। अतः पूर्व से प्रार्थी को मार्ग उपलब्ध होने से नया रास्ता कायम कराने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

—: : **आदेश** : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 14:41:16 IST
Reason: SelfAttested